न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:– 05 / 2024 तारीख रजू:–19.03.2024

जी.सी.एम.एस. नं0:– 2024 / 15

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. छीतरलाल पुत्र मांगीलाल बैरवा, निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–प्रार्थी

बनाम

1. ओम प्रकाश पुत्र शंकरलाल बैरवा, निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. रामोतार पुत्र शंकरलाल बैरवा, निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
3. जगदीश पुत्र ओम प्रकाश बैरवा, निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
4. घनश्याम पुत्र ओम प्रकाश बैरवा, निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
5. राधेश्याम पुत्र ओम प्रकाश बैरवा, निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
6. आत्माराम पुत्र रामोतार बैरवा, निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
7. गीता पत्नि ओम प्रकाश बैरवा, निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
8. अनीता पत्नि जगदीश बैरवा, निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
9. पाना पत्नि घनश्याम बैरवा, निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
10. सरिता पत्नि राधेश्याम बैरवा, निवासी डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
11. लेण्ड होल्डर तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:31:48 IST
Reason: SelfAttested

–अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

उपस्थितः:—

वकील प्रार्थी :— श्री बालकृष्ण उपाध्याय, एडवोकेट

वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10:— श्री लोकेश कुमार सीठा, एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांकः—16.03.2026

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि—

❖ प्रार्थी ग्राम डिडायच तहसील चौथ का बरवाडा का मूल निवासी गरीब अनुसुचित 2 बैरवा का सदस्य है। प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 13/1276 रकबा 1.26 हेक्टर किस्म बारानी —3 वाके ग्राम डिडायच तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई ।.व 1975 मे राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गयी थी। वादी—प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 13/1276 के सहारे पश्चिम दिशा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 14/1278 रकबा 1.26 प्रतिवादीगण—अप्रार्थीगण सख्यां 1 व 2 औम प्रकाश व रामोतार की खातेदारी की आराजी है जो अप्रार्थीगण को भी राज्य सरकार से आंवटित की गयी है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की स्थिति को दर्शाते हुवे नक्शा ड्रेस मे तरमीम मोके पर हो रही है जिससे के खेत की सीमा निर्धारित होती है। जिसके अनुसार प्रार्थी की खातेदारी की आरजी से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध वास्ता नही है।

❖ प्रार्थी की खातेदारी की उक्त आराजी के पूर्व में नम्बर 4/1 रकबा 5 बीघा था जो सेटलमेन्ट के बाद बदल कर नये खसरा नम्बर 13/1276 रकबा 1.26 हेक्टर किस्म बारानी 3 वाके ग्राम डिडायच तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर हो गये है। वादी—प्रार्थी के कयन के समर्थन मे राजस्व रिकार्ड मिलान क्षेत्रफल, जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस, खसरा गिरवादवरी, सीमाज्ञान आदि की प्रमाणित प्रतियां वाद के साथ सलग्न है, जो प्रार्थी के कथन का समर्थन करती है।

❖ प्रार्थी की खातेदारी की उक्त आराजी खसरा नम्बर 13/1276 रकबा 1.26 हेक्टर किस्म बारानी 3 उपद पडोसी काश्त—कारान द्वारा कब्जे को लेकर विवाद किया गया जिसके बाबत प्रार्थी की प्रार्थना पत्र तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा 28/6/2019 को प्रार्थी की खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान कर प्रार्थी को अपने खेत की सीमा समझा दी, जिसके अनुसार वादी—प्रार्थी अपनी आराजी को काश्त कर अपना व अपने परिवार का पेट पालन करता था प्रार्थी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी की उक्त आराजी को अच्छी तरह समतल आदि कर इसमे सिचाई का साधन नहीं बना पाया है इस कारण ... के समय पिलाई हेतु पानी किराये पर लेता है जो कभी ... से लेता है तो कभी वर्षा पर ही विर्भर करता है। प्रार्थी की गरीबी हा... का फायदा उठाते हुवे वर्ष हमारे गांव के प्रभात पुत्र शकर जाति खटीक द्वारा बाधा अवरोध उत्पन्न किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:31:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

जिसके बाबत प्रार्थी ने श्रीमान न्यायालय में एक राजस्व वाद नम्बरी 55/21 उनवानी छीतरलाल बनाम प्रभात प्रस्तुत किया जो दिनांक 29/11/22 को श्रीमान न्यायालय द्वारा वादी–प्रार्थी के पक्ष में डिकी किया गया जो प्रार्थी कें खातेदारी अधिकारो का समर्थन करता है।

❖ प्रार्थी ने अपनी इस आराजी को विकसित करने हेतु इस आराजी पर के०सी०सी० भी ले रखी है। परन्तु गत वर्ष प्रतिवादीगण–अप्रार्थीगण सख्यां 1 व 2 ने अचानक वादी–प्रार्थी के साथ विवाद पैदा कर वादी–प्रार्थी को धमकाना प्रारम्भ कर दिया कि वो वादी–प्रार्थी की खातेदारी की उक्त आराजी खसरा नम्बर 13/1276 रकबा 1.26 हेक्टर किस्म बारानी 3 पर जबरन कब्जा करेंगे तथा अगर वादी–प्रार्थी खेत पर आया तो वादी–प्रार्थी को जान से मार देगे इस कारण वादी–प्रार्थी ने तहसीलदार चोथ का बरवाडा के समक्ष पुनः आवेदन प्रस्तुत कर पुनः प्रतिवादीगण–अप्रार्थीगण के समक्ष सीमाज्ञान कर बादी–प्रार्थी प्रतिवादीगण–अप्रार्थीगण की सीमा निश्चित कर विवाद का निबटारा करने की प्रार्थना की जिस पर प्रतिवादीगण–अप्रार्थीगण की उपस्थिति में दिनांक 9/6/23 को तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा वादी–प्रार्थी की खातेदारी की उक्त आराजी का सीमानान कर पक्षकारान को सन्तुष्ट कर दिया परन्तु प्रतिवादीगण–अप्रार्थीगण ने इस पर विवाद करते हुवे इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया तवा सेटलमेन्ट विभाग से सीमाज्ञान कराने की मांग की जिस पर बादी–प्रार्थी तो सहमत वा परन्तु प्रतिवादीगण–अप्रार्थीगण ने आज तक इस बाबत कोई कार्यवाही सेटलमेन्ट विभाग या राजस्व विभाग में नहीं की और वैसे ही मोके पर वादी–प्रार्थी को जबरन कब्जा करने व जान माल की हानि पहुंचाने की धमकीया देते रहे इस कारण वादी–प्रार्थी ने इस बाबत प्रतिवादीजण–अप्रार्थीगण सख्यां व 2 के विरुद्ध पुलिस थाना चौथ का बरवाडा में परिवाद दर्ज कराया व परन्तु पुलिस याना चोथ का बरवाडा द्वारा प्रतिवादीगण–अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिससे प्रतिवादीगण–अप्रार्थीगण के होसले बढ गये इस कारण उन्होने इस साल वादी–प्रार्थी को अपने खेत पर सरसो की फसल काश्त करने समय बड़ी चमकीया दी परन्तु वादी–प्रार्थी ने किसी न किसी प्रकार अपने खेत पर सरसो की फसल काश्त की परन्तु गत साल समय पर वर्षा नहीं होने के कारण पहली बार बोयी फसल नहीं उगी तो वादी–प्रार्थी ने पुनः वर्षा होने पर फसल सरसो काश्त की जो काफी अच्छी हुयी तथा पक कर सरसब्ज खड़ी थी कि अब से 25 दिन पूर्व दिनांक 26/2/24 को जबरन सभी प्रतिवादीगण–अप्रार्थीगण ने मिल कर प्रार्थी की फसल को काट कर जबरन उठा कर ले गये वादी–प्रार्थी उस दिन अपने पुत्र के साथ गांव से बाहर गया हुआ था, इस कारण 2 दिन बाद यादी प्रार्थी जब वापस गाव आया तो वादी–प्रार्थी को प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण की कार्यवाही की जानकारी हुयी तब से वादी–प्रार्थी कभी पुलिस बाबा चौथ का बरवाडा [illegible] बरवाडा मे चक्कर लगा रहा है परन्तु पिछले कुछ समय पूर्व पुरानी [illegible] बदल कर नयी सरकार बनने व अधिकारीयो के स्थानान्[illegible] प्रार्थी की कही सुनवायी नहीं हो पा रही है। इस कारण वादी–प्रार्थी के पास श्रीमान न्यायालय की शरण लेना ही एक मात्र उपाय बचा है। इस कारण विधिक राय लेकर यह बाद पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:31:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

श्रीमान न्यायालय में अधीन धारा 88, 188 राज० काश्त कारी अधि० प्रस्तुत किया है जिसमे वादी–प्रार्थी को सफलता की पूरी उम्मीद है।

- ❖ प्रथम दृष्टया केस वादी पार्टी के पक्ष में है क्योकि वादी प्रार्थी विवादित आराजी खसरा नम्बर 13/1276 रकबा 1.26 हेक्टर किस्म बारानी–3 का खातेदार काश्त कार है जिससे प्रतिवादीगण–अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु क्योकि वादी प्रार्थी अकेला वृद्ध व्यक्ति है जबकि प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सम्पन्न सरगना संख्यां से अधिक लोग है जो जब भी प्रार्थी अपने इस खेत पर जाता है एक राय होकर गाली गलोच जान माल की धमकीया देते है तथा जबरन उन्होने इस साल की फसल भी जबरन काट ली है। इस कारण प्रार्थी–वादी को अपने खातेदारी अधिकारो के उपयोग उपभोग में परेशानी हो रही है तथा हमेशा वादी को प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण की धमकीयो से जान माल की हानि का अन्देशा रहता है इस कारण सुविधा सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु भी वादी प्रार्थी के पक्ष में है तथा विवादित आराजी खसरा नम्बर 13/1276 रकबा 1.26 हेक्टर किस्म बारानी–3 वाके ग्राम डिडायच तहसील चौथ का बरवाडा पर प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक हो गया है।

- ❖ अतः प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राज० काश्त कारी अधि० मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध है कि प्राथ्ना–पत्र प्रार्थी–वादी स्वीकार कर ताफेसला वाद अस्थायी निषधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण–अप्रार्थीगण इस अमर की जारी फरमायी जावे कि वाद के निर्णय तक विवादित आराजी खसरा नम्बर 13/1276 रकबा 1.26 हेक्टर किस्म बारानी 3 वाके ग्राम डिडायच तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर पर वादी–प्रार्थी को काश्त कर अपने खातेदारी अधिकारो के उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की बाधा अवरोध जन तो स्वंय उत्पन्न करे नहीं किसी दीगर से कराये।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थीगण जारी किये जाकर उनको न्यायालय में तलब किया।

3. वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद उनके द्वारा जवाब पेश नहीं किये जाने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 लगातय 10 का जवाब बंद किया गया।

4. बकुलाय बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का दोहरान किया। मैंने वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

5. प्रार्थी वकील ने दौराने बहस कथन है कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 13/1276 रकबा 1.26 हेक्टर किस्म बारानी –3 वाके ग्राम डिडायच तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर राजस्व सरकार द्वारा आवटित की गयी थी। वादी–प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 13/1276 के सहारे पश्चिम दिशा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 14/1278 रकबा 1.26

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:31:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

प्रतिवादीगण–अप्रार्थीगण सख्यां 1 व 2 औम प्रकाश व रामोतार की खातेदारी की आराजी है जो प्रतिवादीगण–अप्रार्थीगण को भी राज्य सरकार से आंवटित की गयी है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की स्थिति को दर्शाते हुवे नक्शा ड्रेस मे तरमीम मोके पर हो रही है जिससे के खेत की सीमा निर्धारित होती है। जिसके अनुसार प्रार्थी की खातेदारी की आरजी से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध वास्ता नहीं है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 ने दौराने बहस कथन किया है कि भू–प्रबंध विभाग ने त्रुटीवश प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 को अलग–अलग जगह दर्शा दिया गया है, जिससे विवाद पैदा हुआ है।

1. <u>प्रथमदृष्टया केस</u>:– ग्राम डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा की स्थायी जमाबंदी दिनांक 07.06.2023 के अनुसार प्रार्थी विवादित आराजीयात खसरा नंबर 13/1276 रकबा 1.26 का खातेदार है। जिसमें प्रार्थी के कथन के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 कब्जे व काश्त में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 ने अपने पक्ष को साबित करने के लिये कोई जवाब पेश नहीं किया है। पत्रावली के संलग्न इस न्यायालय के मु0नं0 55/21 उनवान छीतरलाल बनाम प्रभात किस्म प्रकरण दावा में पारित निर्णय दिनांक 29.11.2022 में भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णय पारित किया जाकर ग्राम डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा के खसरा नंबर 13/1276 रकबा 1.26 है0 में वादी/प्रार्थी के कब्जे काश्त किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है।

साथ ही पत्रावली के संलग्न सीमाज्ञान फर्द मौका दिनांक 09.06.2023 को किये गये सीमाज्ञान से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने असंतुष्टी जाहिर कर सेटलमेंट विभाग से सीमाज्ञान करवाने की मांग की है।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 के कथन, कि भू–प्रबंध विभाग ने त्रुटीवश प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 को अलग–अलग जगह दर्शा दिया गया है, जिससे विवाद पैदा हुआ है, को वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 साबित करने में असफल रहे है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 के इस कथन का विनिश्चय मूल वाद में साक्ष्य के उपरान्त ही किया जा सकेगा। इस प्रकार प्रथमदृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:31:48 IST
Reason: SelfAttested

2. <u>अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन</u>:– ग्राम डिडायच, तहसील चौथ का बरवाड़ा की स्थायी जमाबंदी दिनांक 07.06.2023 के अनुसार प्रार्थी विवादित आराजीयात खसरा नंबर 13/1276 रकबा 1.26 का खातेदार है। जिसमें प्रार्थी के कथन के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 कब्जे व काश्त में बाधा उत्पन्न करने के

Vijay
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

कारण प्रार्थी अपने अधिकारों से वंचित हो रहा है। इसलिये यदि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 प्रार्थी की फसल को नष्ट कर सकते हैं अथवा उनके द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि से फसल जा सकते है, अथवा प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर कब्जा भी कर सकते हैं, जिससे प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित हो जायेगा, जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी, जिससे प्रार्थी को असुविधा होगी। इस प्रकार अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में पाया गया है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 को मूल दावे के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित समझता हूं।

—:आदेशः—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात खसरा नंबर 13/1276 रकबा 1.26 है0 में प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करे। निर्णय आज दिनांक 16.03.2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:31:48 IST
Reason: SelfAttested